



**CENTRE
FOR AMBITION**
AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES

IAS-PCS

Date : 09-09-2025

डिजिटल मीडिया विनियमन और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता



1. सुप्रीम कोर्ट केस: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और विकलांग व्यक्ति

संदर्भ:

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की जिसमें पाँच सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों ने कथित तौर पर विकलांग व्यक्तियों का मज़ाक उड़ाया था। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन यह अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तियों की गरिमा को कम नहीं कर सकता। हास्य कलाकारों के आचरण को "हानिकारक और मनोबल गिराने वाला" करार दिया गया, और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि हास्य दूसरों को नीचा दिखाने को उचित नहीं ठहरा सकता।

मामले की मुख्य विशेषताएँ:

- डिजिटल सामग्री के संरचित विनियमन का अभाव, नफ़रत/आपत्तिजनक भाषण में वृद्धि, और प्रभावशाली लोगों के पारिस्थितिकी तंत्र में जवाबदेही।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- व्यावसायिक सामग्री के लिए कोई विशेष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं:** व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई सामग्री—जैसे कि प्रभावशाली लोगों द्वारा—को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समान सुरक्षा प्राप्त नहीं है।
- प्रस्तावित वित्तीय दंड:** आहत करने वाली टिप्पणियों के लिए दंड पर बाद में विचार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, “यह अवमानना को शुद्ध करने जैसा है।”
- दिशानिर्देश:** प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक व्यापक ढाँचा: अटॉर्नी जनरल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) और अन्य हितधारकों के परामर्श से दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करेंगे।
- समुदायों में सम्मान की रक्षा:** हास्य से विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों जैसे कमजोर समूहों का अपमान या अवमानना नहीं होनी चाहिए। अगर आपत्तिजनक सामग्री पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह व्यापक सामाजिक नुकसान का कारण बन सकती है।

मामले का विश्लेषण:

- संवैधानिक संतुलन:** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है; इसे संवैधानिक नैतिकता के दायरे में रहकर काम करना चाहिए।
- अंतर:** व्यावसायिक प्रभावशाली भाषण बनाम मूल राजनीतिक अभिव्यक्ति।
- न्यायिक नवाचार:** क्षमा याचना और जागरूकता निर्माण जैसे सुधारात्मक उपाय।
- डिजिटल सम्मान के मानक:** विकसित हो रहे डिजिटल न्यायशास्त्र को सुदृढ़ करता है।
- नियामक शून्यता:** हितधारकों की भागीदारी के साथ एक सह-नियामक मॉडल की ओर धकेलता है।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016** को सुदृढ़ करता है।
- प्रभावशाली व्यक्तियों की जवाबदेही:** व्यापक पहुँच वाले सामग्री निर्माताओं की कानूनी और नैतिक ज़िम्मेदारी का विस्तार करता है।

डिजिटल भाषण पर न्यायालय के दिशानिर्देशों की सीमाएँ:

- अति-नियमन का जोखिम:** व्यंग्य, असहमति और कलात्मक स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकता है।
- व्यक्तिपरक परिभाषाएँ:** “आपत्तिजनक” या “अपमानजनक” जैसे शब्द मनमाने ढंग से लागू किए जा सकते हैं।
- निराशाजनक प्रभाव:** दंड का डर रचनाकारों को हतोत्साहित कर सकता है।
- अस्पष्ट प्लेटफॉर्म जवाबदेही।
- नागरिक समाज की चिंताएँ:** पिछले नियामक प्रयासों को दुरुपयोग के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा।

2. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 19(1)(a):** सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।
- कार्यक्षेत्र:** शब्दों, लेखन, मुद्रण, चित्रों, हाव-भाव, कलात्मक कार्यों और डिजिटल मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्ति को शामिल करता है।

- **नागरिकता विशिष्ट:** केवल भारतीय नागरिक।
- निम्नलिखित के हित में उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(2)) लगाए जा सकते हैं:
 - भारत की संप्रभुता और अखंडता
 - राज्य की सुरक्षा
 - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
 - सार्वजनिक व्यवस्था
 - शालीनता या नैतिकता
 - न्यायालय की अवमानना
 - मानहानि
 - किसी अपराध के लिए उकसाना

3. प्रमुख कानूनी बहसें और ऐतिहासिक मामले

- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):** धारा 66A रद्द; अस्पष्ट कानून ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर सकते।
- **सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ:** आपराधिक मानहानि संवैधानिक; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ प्रतिष्ठा का संतुलन।
- **इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ (1985):** प्रेस एक प्रहरी की भूमिका निभाता है; सरकारी प्रतिबंधों को मनमाने ढंग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए।
- **बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1972):** प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नियमों की सख्त जाँच आवश्यक है।
- **घृणास्पद भाषण और डिजिटल विनियमन पर हालिया मामले:** अदालतें व्यक्तिगत जवाबदेही पर जोर देती हैं, गलत सूचना, एल्गोरिथम-संचालित प्रवर्धन पर ध्यान देती हैं, और संरचित डिजिटल विनियमन का आग्रह करती हैं।

4. अभिव्यक्ति की डिजिटल स्वतंत्रता को विनियमित करने की आवश्यकता

- हानिकारक और आपत्तिजनक सामग्री को रोकना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म सामग्री को तुरंत लाखों लोगों तक पहुँचाने में सक्षम बनाते हैं। घृणास्पद भाषण, ट्रोलिंग, साइबर धमकी और आपत्तिजनक मीम्स प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकते हैं, सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं और कमजोर समुदायों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना:** वायरल गलत सूचना या भड़काऊ पोस्ट कानून और व्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं, खासकर चुनावों या संकट के दौरान।
- राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा:** धर्म, जाति, जातीयता या क्षेत्र के आधार पर विभाजन को बढ़ावा देने वाला भाषण राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है। डिजिटल प्रवर्धन विभाजनकारी सामग्री को बढ़ाता है, जिससे सामाजिक सामंजस्य कमजोर होता है।
- व्यक्तिगत अधिकारों और सम्मान की रक्षा:** साइबर उत्पीड़न, डॉक्सिंग या आपत्तिजनक सामग्री अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करती है। व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और हाशिए पर पड़े समूहों को सुरक्षा की आवश्यकता है।

- E. कानूनी और तकनीकी कमियों को दूर करना:** आईटी अधिनियम, 2000 और आईपीसी जैसे पारंपरिक कानून वास्तविक समय, सीमा पार डिजिटल चुनौतियों के लिए अपर्याप्त हैं। डिजिटल-विशिष्ट नियम संवैधानिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- F. जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता को प्रोत्साहित करना:** विनियमन नैतिक ऑनलाइन व्यवहार को बढ़ावा देता है, उत्पीड़न, उकसावे या दुष्प्रचार के लिए डिजिटल स्वतंत्रता के दुरुपयोग को हतोत्साहित करता है।

5. भारत में डिजिटल मीडिया विनियमन

A. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम)

- संबंधित धाराएँ:
 - 66% हैकिंग और अनधिकृत पहुँच
 - 66A (निरस्त): आपत्तिजनक ऑनलाइन संदेश भेजना
 - 66F% साइबर आतंकवाद
 - 69A% वेबसाइट/सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति
 - 79% मध्यस्थ दायित्व; यदि उचित सावधानी बरती जाए तो प्लेटफॉर्म उत्तरदायी नहीं होंगे
- मध्यस्थ दिशानिर्देश 2021:
 - सूचना के 36 घंटों के भीतर गैरकानूनी सामग्री हटाएँ
 - अनुपालन अधिकारी और शिकायत निवारण तंत्र नियुक्त करें

B. डिजिटल मीडिया आचार संहिता/ओटीटी नियम (2023)

- आयु के अनुसार सामग्री का वर्गीकरण करें: U, U/A 7+, 13+, 16+, A (वयस्क)
- अभिभावकीय लॉक और सामग्री फ़िल्टर प्रदान करें
- शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करें; शिकायतों का 15 दिनों के भीतर समाधान
- आपत्तिजनक या गैरकानूनी सामग्री से बचने के लिए स्व-नियामक संहिता का पालन करें

C. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम)

- व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को विनियमित करता है; गोपनीयता की रक्षा करता है
- मुख्य विशेषताएँ: सहमति-आधारित डेटा संग्रह, प्रत्ययी दायित्व, डेटा तक पहुँचने/सुधारने/मिटाने के अधिकार, अनुपालन न करने पर दंड
- आईटी अधिनियम का पूरक; उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और जिम्मेदारी से संचालन सुनिश्चित करता है

D. अन्य प्रासंगिक अधिनियम

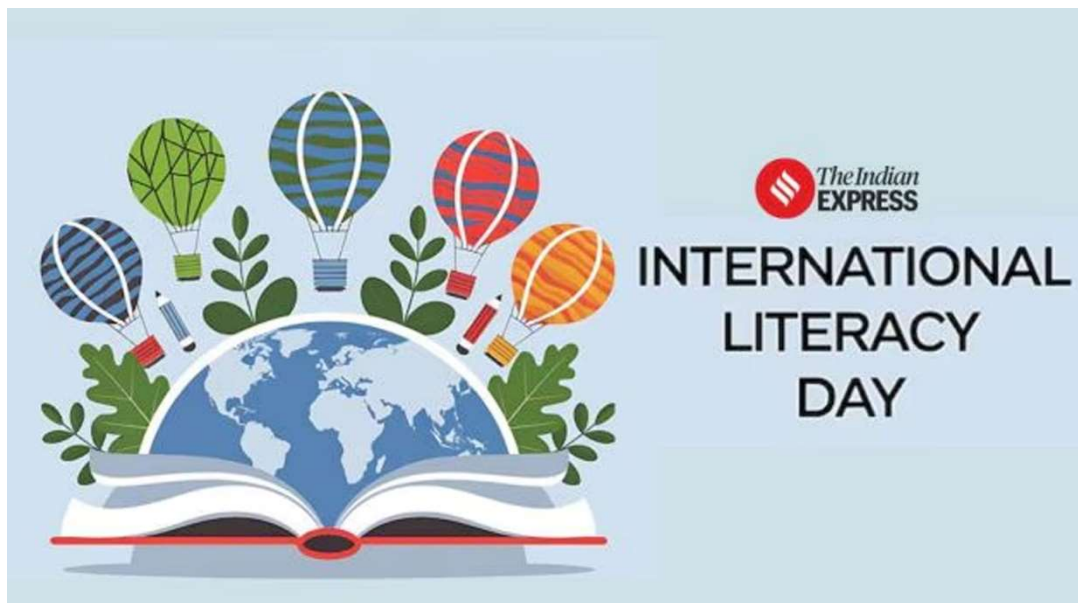
- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम, 1995: ओटीटी सामग्री प्रमाणन
- भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978: केवल प्रिंट तक सीमित; डिजिटल समाचार आंशिक रूप से शामिल

6. आगे की राह

- हानिकारक सामग्री और वैध अभिव्यक्ति के बीच अंतर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित स्पष्ट मानदंड स्थापित करना, मनमाने ढंग से सेंसरशिप को रोकना।
- प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

- डिजिटल युग की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए आईटी अधिनियम, आईपीसी और संबंधित कानूनों जैसे कानूनों को अद्यतन करें।
- डिजिटल साक्षरता और नागरिक उत्तरदायित्व: अनुच्छेद 51, (मौलिक कर्तव्य) के अनुरूप, नागरिकों में जागरूकता, नैतिक ऑनलाइन व्यवहार और आत्म-संयम को बढ़ावा दें।
- सह-नियामक और स्व-नियामक मॉडल: जिम्मेदार डिजिटल शासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार, प्लेटफॉर्म और स्व-नियामक निकायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।
- आवधिक समीक्षा और निरीक्षण: नियमों को सक्रिय रूप से अनुकूलित करने के लिए एआई, डीपफेक और एल्गोरिथम सामग्री प्रवर्धन जैसी विकसित हो रही तकनीकों की निरंतर निगरानी करें।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (ILD) 2025



- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा, जिसमें मानव प्रगति और परिवर्तन के साधन के रूप में पढ़ने और लिखने की शक्ति पर प्रकाश डाला जाएगा।
- यूनेस्को ने 2025 के लिए मुख्य अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कार्यक्रम पेरिस (फ्रांस) स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित किया, जिसमें डिजिटल समावेशन और नवीन साक्षरता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

विषय : 2025

- इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस "डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना" पर केंद्रित है।
- डिजिटल साक्षरता ऑनलाइन सामग्री तक पहुँचने, उसका मूल्यांकन करने, उसे बनाने और संप्रेषित करने की क्षमता है, जो आलोचनात्मक सोच को सक्षम बनाती है, विश्वसनीय जानकारी को समझने और जटिल डिजिटल वातावरण में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में सक्षम बनाती है, जिससे यह आज एक आवश्यक कौशल बन गया है।

पृष्ठभूमि

- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जड़ें 1965 में तेहरान, ईरान में निरक्षरता उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में हैं, जिसने वैश्विक स्तर पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक दिन के विचार को जन्म दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जिसे 1966 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था, तब से साक्षरता की परिवर्तनकारी शक्ति के वैश्विक अनुस्मारक के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

भारत में साक्षरता प्रयास

- यह दिवस समाज में साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है।
- भारत का सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, प्रौढ़ शिक्षा इस दिशा में सराहनीय कदम हैं।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में “राष्ट्रीय साक्षरता मिशन” शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य निरक्षरता को समाप्त करना और कार्यात्मक साक्षरता एवं आजीवन अधिगम के साथ प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना था।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन अधिगम पर सिफारिशें शामिल हैं।
- सरकार ने ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ और 2021–22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए वित्त वर्ष 2022–2027 की अवधि के लिए “नए भारत साक्षरता कार्यक्रम” को मंजूरी दी है।
- इसका उद्देश्य न केवल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटक भी प्रदान करना है, जैसे:
 - महत्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा और परिवार कल्याण सहित)
 - व्यावसायिक कौशल विकास (रोज़गार सुनिश्चित करने की दृष्टि से)
 - बुनियादी शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों की समतुल्यता सहित)
 - सतत शिक्षा (कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में व्यापक वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम)।
- हालांकि, महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 तक दुनिया भर में कम से कम 739 मिलियन युवा और वयस्क बुनियादी साक्षरता क्षमताओं से वंचित रहेंगे।
- सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य 4.6 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी युवा और वयस्कों, पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा, साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर लें।



Digital Media Regulation and Freedom of Speech in India



1. Supreme Court Case: Social Media Influencers and Persons with Disabilities

Context:

- Supreme Court took up a case where five social media influencers allegedly mocked persons with disabilities. Court observed that while **Article 19(1)(a)** protects free expression, it cannot override the dignity of individuals under **Article 21**. The conduct of the comedians was termed “damaging and demoralising,” stressing that humour cannot justify demeaning others.

Case Highlights:

- Lack of structured regulation of digital content, growing hate/offensive speech, and accountability in the influencer ecosystem.

Supreme Court Observations:

- **No Special Free Speech Immunity for Commercial Content:** Content created for commercial purposes—such as by influencers—does not enjoy the same free speech protections under Article 19(1)(a).
- **Proposed Financial Penalties:** Penalties for hurtful remarks might be considered later. Justice Kant remarked, “It is like purging contempt.”
- **Guidelines: Not a Reaction, but A Comprehensive Framework:** Attorney General to draft guidelines in consultation with **News Broadcasters and Digital Association (NBDA)** and other stakeholders.
- **Protecting Dignity Across Communities:** Humour should not degrade or demean vulnerable groups like persons with disabilities, women, senior citizens, and children. Offensive content may escalate into broader societal harm if left unchecked.

Analysis of the Case:

- **Constitutional Balance:** Free speech is not absolute; must operate within constitutional morality.
- **Distinction:** Commercialized influencer speech vs core political expression.
- **Judicial Innovation:** Reformatory measures like apologies and awareness-building.
- **Standards for Digital Dignity:** Reinforces evolving digital jurisprudence.
- **Regulatory Vacuum:** Pushes towards a co-regulatory model with stakeholder participation.
- Reinforces **Rights of Persons with Disabilities Act, 2016**.
- **Accountability of Influencers:** Expands legal and ethical responsibility of content creators with mass reach.

Limitations of Court Guidelines on Digital Speech:

- **Risk of Over-Regulation:** May curb satire, dissent, and artistic freedom.
- **Subjective Definitions:** Terms like “offensive” or “demeaning” may lead to arbitrary enforcement.
- **Chilling Effect:** Fear of penalties could discourage creators.
- Unclear Platform Accountability.
- **Civil Society Concerns:** Past regulatory attempts faced criticism for misuse.

2. Constitutional Basis of Freedom of Speech and Expression

- **Article 19(1)(a):** Guarantees all citizens the right to freedom of speech and expression.
- **Scope:** Covers expression through words, writing, printing, pictures, gestures, artistic works, and digital media.
- **Citizenship Specific:** Only Indian citizens.

- **Reasonable Restrictions (Article 19(2))** may be imposed in the interests of:
 - Sovereignty and integrity of India
 - Security of the State
 - Friendly relations with foreign States
 - Public order
 - Decency or morality
 - Contempt of court
 - Defamation
 - Incitement to an offence

3. Key Legal Debates & Landmark Cases

- **Shreya Singhal v. Union of India (2015):** Section 66A struck down; vague laws cannot restrict free speech online.
- **Subramanian Swamy v. Union of India:** Criminal defamation constitutional; balances reputation with free speech.
- **Indian Express v. Union of India (1985):** Press plays a watchdog role; government restrictions must not curb free speech arbitrarily.
- **Bennett Coleman & Co. v. Union of India (1972):** Press freedom requires strict scrutiny of regulations.
- **Recent Cases on Hate Speech & Digital Regulation:** Courts stress personal accountability, address misinformation, algorithm-driven amplification, and urge structured digital regulation.

4. Need for Regulating Digital Freedom of Speech

- A. **Containing Harmful and Offensive Content:** Digital platforms enable content to reach millions instantly. Hate speech, trolling, cyberbullying, and offensive memes can damage reputations, create societal tensions, and harm vulnerable communities.
- B. **Maintaining Public Order:** Viral misinformation or provocative posts can destabilize law and order, especially during elections or crises.
- C. **Protecting National Integrity:** Speech that promotes division based on religion, caste, ethnicity, or region can weaken national unity. Digital amplification magnifies divisive content, making social cohesion fragile.
- D. **Safeguarding Individual Rights and Dignity:** Cyber harassment, doxing, or offensive content violates the right to life and dignity under Article 21. Individuals, particularly women, children, persons with disabilities, and marginalized groups, require protection.
- E. **Addressing Legal and Technological Gaps:** Traditional laws like the IT Act, 2000, and IPC are insufficient for real-time, cross-border digital challenges. Digital-specific rules ensure accountability while respecting constitutional freedoms.
- F. **Encouraging Responsible Digital Citizenship:** Regulation promotes ethical online behavior, discouraging the misuse of digital freedom for harassment, incitement, or propaganda.

5. Digital Media Regulation in India

A. Information Technology Act, 2000 (IT Act)

- **Relevant Sections:**
 - 66: Hacking and unauthorized access
 - 66A (struck down): Sending offensive online messages
 - 66F: Cyber terrorism
 - 69A: Power to block websites/content
 - 79: Intermediary liability; platforms not liable if due diligence followed
- **Intermediary Guidelines 2021:**
 - Remove unlawful content within 36 hours of notice
 - Appoint compliance officers and grievance redressal mechanisms

B. Digital Media Ethics Code / OTT Rules (2023)

- Classify content by age: U, U/A 7+, 13+, 16+, A (Adult)
- Provide parental locks and content filters
- Appoint Grievance Redressal Officer; complaints addressed within 15 days
- Follow self-regulatory code to avoid offensive or unlawful content

C. Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act)

- Regulates processing of personal data; protects privacy
- **Key Features:** Consent-based data collection, fiduciary obligations, rights to access/correct/erase data, penalties for non-compliance
- Complements IT Act; ensures privacy, security, and responsible handling of user data

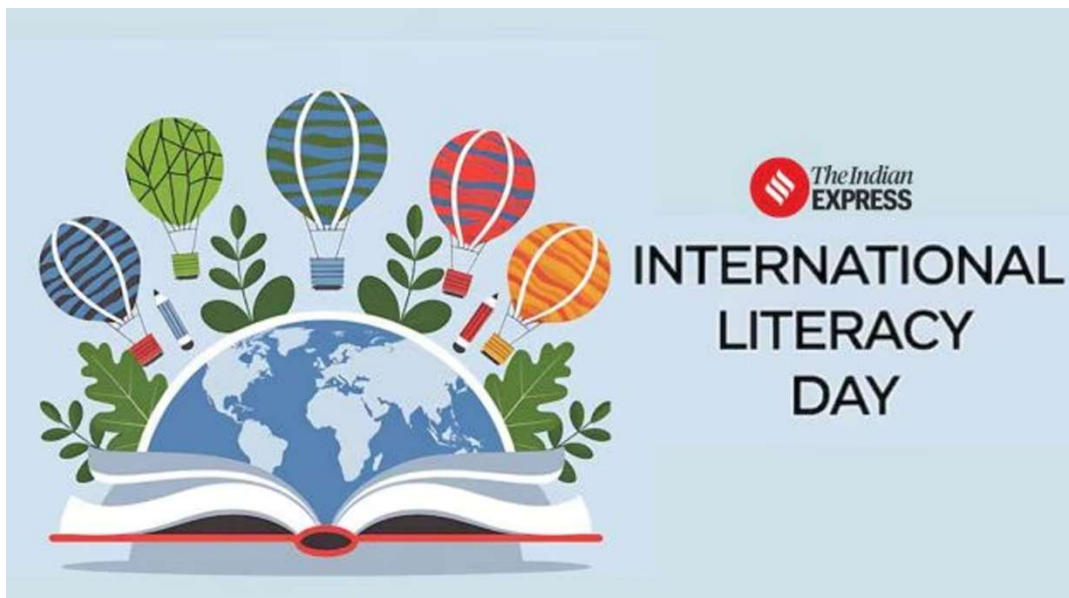
D. Other Relevant Acts

- Cinematograph Act, 1952 & Cable TV Networks Act, 1995: OTT content certification
- Press Council of India Act, 1978: Limited to print; digital news partially included

6. Way Forward

- Establish clear Supreme Court-led norms to distinguish between harmful content and legitimate expression, preventing arbitrary censorship.
- Ensure Platform Accountability.
- Update laws like the IT Act, IPC, and related statutes to address digital-era challenges effectively.
- Digital Literacy and Civic Responsibility: Promote awareness, ethical online behavior, and self-restraint among citizens, aligning with Article 51A (Fundamental Duties).
- Co-regulatory and Self-Regulatory Models: Encourage collaboration between government, platforms, and self-regulatory bodies to ensure responsible digital governance.
- Periodic Review and Oversight: Continuously monitor evolving technologies such as AI, deepfakes, and algorithmic content amplification to adapt regulations proactively.

International Literacy Day (ILD) 2025



- International Literacy Day was celebrated on 8 September 2025, highlighting the power of reading and writing as tools for human progress and transformation.
- UNESCO held the main ILD event for 2025 at its headquarters in Paris (France), focusing on digital inclusion and innovative literacy programmes.

Theme: 2025

- This year's ILD focuses on "Promoting Literacy in the Digital Age".
- Digital literacy is the ability to access, evaluate, create and communicate online content, enabling critical thinking, understanding reliable information and navigating safely in complex digital environments, making it an essential skill today.

Background

- ILD has its roots in the World Conference of Ministers of Education on the Eradication of Illiteracy in Tehran, Iran in 1965, which gave birth to the idea of a day dedicated to promoting literacy globally.
- International Literacy Day, which was declared by UNESCO in 1966 and first celebrated on 8 September 1967, has since been celebrated annually as a global reminder of the transformative power of literacy.

Literacy Efforts in India

- This day is celebrated on a large scale in India with the aim of promoting literacy in the society.
- India's Sarva Shiksha Abhiyan, Mid-Day Meal, Adult Education are commendable steps in this direction.
- The "National Literacy Mission" was launched by the Government of India in the year 1988.
- It aimed to eliminate illiteracy and provide adult education with functional literacy and lifelong learning.
- The National Education Policy 2020 includes recommendations on adult education and lifelong learning.
- The Government has approved the "New India Literacy Programme" for the period FY 2022-2027 to cover all aspects of adult education in line with the 'National Education Policy 2020' and the Budget announcements for 2021-22.

- It aims to provide not only basic literacy and numeracy but also other components essential for a 21st century citizen, such as:
 - Critical life skills (including financial literacy, digital literacy, vocational skills, health care and awareness, child care and education and family welfare)
 - Vocational skill development (with a view to ensuring employability)
 - Basic education (including equivalence of primary, secondary and higher secondary levels)
 - Continuing education (comprehensive adult education curriculum in arts, science, technology, culture, sports and recreation).
- However, despite significant progress, according to a UNESCO report, at least 739 million youth and adults across the world will remain deprived of basic literacy capabilities by 2024.
- International Sustainable Development Goal 4.6 on universal literacy and numeracy By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, men and women, achieve literacy and numeracy.

